संख्या-132/2022/827/22-2-2021-17(494)/2021

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 31 अगस्त, 2022*

विषय:-केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अब्दुल सत्तार पुत्र श्री अब्दुल समद, निवासी जनपद-बस्ती की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4324/प्रोबे-5-दया0 बैठक-11-02-2021 दिनांक 22-02-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अब्दुल सत्तार पुत्र श्री अब्दुल समद, जो माली टोला, वर्तमान निकट मलंग मजार गांधीनगर थाना-कोतवाली, जनपद-बस्ती का निवासी है। बंदी द्वारा घटना से पूर्व दिनांक 23.12.2010 को अब्दुल मन्नान के साथ हुयी मार-पीट की रंजिश के कारण दिनांक 25.04.2011 को 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल व रिवाल्वर से गोली मारकर एवं छुरे से गर्दन काटकर फैसल उर्फ बाबू नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-109, 111/2012 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149, 120बी0, 506 व 7 क्रि0लॉ0 एक्ट एवं 3/25 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बस्ती के आदेश दिनांक 16.02.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 13.01.2021 तक 06 वर्ष 08 माह 09 दिन की अपरिहार सजा तथा 08 वर्ष 07 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, बस्ती ने राजनैतिक विवाद वर्तमान में भी बना होने के कारण बंदी द्वारा पुन: अपराध करने से इन्कार नहीं किये जा सकने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति ने बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी अब्दुल सत्तार (बन्दी संख्या-48151) पुत्र श्री अब्दुल समद, निवासी जनपद-बस्ती की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-132/2022/827(1)/22-2-2021 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती।

2-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।